राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 855/2008/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, वृत–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जयपुर सवाईमाधोपुर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी,
गणगौरी बाजार, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव कासलीवाल,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री एस.के.जैन, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 21/4/2014

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वार्ड–प्रथम, वृत–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 349/आरएसटी/एनआरडी/1999–2000 में पारित किये गये आदेश दिनांक 7.8.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सक्षम अधिकारी के प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.5.99 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 22.5.99 की मध्य रात्रि 12.40 AM को मैसर्स जयपुर सवाईमाधोपुर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी गणगौरी बाजार जयपुर पर वाहन संख्या आर.जे.यू.–2214 को चैक करने पर, वाहन में लदे हुए परचून माल के दस्तावेज पेश किये, किन्तु वाहन में लदे सरस घी के 200 कार्टन देशी घी (प्रति कार्टन 10 किग्रा.) एवं 75 पीपे देशी घी (प्रति पीपा 15 किग्रा.) से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने के कारण माल को कब्जेराज लिया जाकर, प्रत्यर्थी फर्म के मैनेजर श्री श्यामसुंदर शर्मा को धारा 78(2) के उल्लंघन के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इस पर फर्म मैनेजर ने कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपने जवाब के साथ मैसर्स जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर के बिल संख्या 4311 दिनांक 21.5.99 की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए जाहिर किया कि उक्त माल मैसर्स जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक

लगातार.....2

सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा मैसर्स सवाईमाधोपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, सवाईमाधोपुर को भिजवाया गया है। यह भी कथन किया कि यह उनका अन्तिम जवाब समझा जावे एवं प्रकरण का निस्तारण आज ही करने की कृपा करें। सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त बिल संख्या 4311 का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिल में 1 किग्रा. पैकिंग का माल 4250 किग्रा. व 15 किग्रा. पैकिंग का माल 1125 किग्रा., इस प्रकार कुल 5375 किग्रा. माल अंकित है। जबकि वक्त जांच वाहन में 200 कार्टन x 10 किग्रा. = 2000 किग्रा. व 75 पीपे x 15 किग्रा. = 1125 किग्रा., इस प्रकार कुल 3125 किग्रा. माल पाया गया। इसके अतिरिक्त उक्त बिल पर दो लाईनों के मध्य Cancelled लिखा हुआ है। अतः उक्त बिल को परिवहनित माल से सम्बन्धित नहीं मानते हुए एवं प्रत्यर्थी के उसी दिन निस्तारण के निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए माल परिवहन में अधिनियम की धारा 78(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(5) के तहत शास्ति रूपये 2,07,230/— का आरोपण आदेश दिनांक 22.5.99 से किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.8.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। कार्यालय समय में दोपहर 2.40 PM पर प्रत्यर्थी फर्म के मैनेजर ने बिल संख्या 4311 दिनांक 21.5.99 की छाया प्रति प्रस्तुत की, जो कि क्रॉस की हुई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य बिल को निरस्त किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त उक्त बिल में अंकित माल व वक्त जांच पाये गये माल में कोई तारतम्य नहीं है। वक्त जांच 3125 किग्रा. माल पाया गया, बिल में 5375 किग्रा. माल का विवरण दर्ज है। प्रत्यर्थी द्वारा बिल संख्या 4311 की मूल प्रति ना तो सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, ना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं ना ही कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। माल का चालान, गेटपास, बिल्टी आदि दस्तावेज भी पेश नहीं किये गये हैं। प्रत्यर्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जवाब को अपना अन्तिम जवाब बताते हुए, केस का निस्तारण उसी दिन करने का निवेदन किया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा बिना बिल/असम्बद्ध बिल से माल परिवहन किया जाना अवधारित करते हुए, धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण पूर्णतया उचित

लगातार.....3

रूप से किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए सक्षम अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रकरण में मध्य रात्रि को माल की चैकिंग की गई है, उस समय माल के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सके, जो सक्षम अधिकारी के समक्ष उसी दिन कार्य समय में उपलब्ध करवा दिये गये। बिल संख्या 4311 को क्रॉस नहीं किया गया है, बल्कि इस पर issued लिखा हुआ है, जिसे सक्षम अधिकारी ने cancelled लिखा हुआ मानते हुए अस्वीकार किया है। विवादित माल बिल संख्या 4311 से ही परिवहनित किया जाना था। वाहन संख्या आर.जे.यू.—2214 में 3125 किग्रा. माल लादा गया तथा शेष 2250 किग्रा. माल अन्य वाहन से भिजवाया गया है। इस बाबत क्रेता व्यवहारी के पत्र दिनांक 25.5.99 में भी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी थी। अग्रिम कथन किया कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण में क्रेता—विक्रेता से किसी प्रकार की जांच नहीं की गई एवं बिना किसी आधार के प्रत्यर्थी पर शास्ति का आरोपण कर दिया गया, जिसे अपास्त किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। सक्षम अधिकारी ने वक्त जांच दिनांक 22.5.99 (21.5.99 व 22.5.99 की मध्य रात्रि 12.40 AM पर) को मैसर्स जयपुर सवाईमाधोपुर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी गणगौरी बाजार जयपुर पर लदे ट्रक को चैक करने पर लदे माल के सम्बन्ध में विहित दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी आदि नहीं पाये जाने पर माल को जब्त कर ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर को सुपुर्द किया। ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर को अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का सम्मन भी जारी किया गया। सुबह ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर ने माल के विषय में मैसर्स जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड जयपुर के बिल संख्या 4311 दिनांक 21.5.99 क्रेता मैसर्स सवाईमाधोपुर टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड सवाई माधोपुर अंकित पेश किया, जिसमें माल का वर्णन 1 kg P.P. 4250 किग्रा. तथा 15 kg Tin 1125 kg कर चुका घी कीमतन मय कर रूपये 6,90,767/— पेश किया। साथ ही सहकारी संघ जयपुर का पत्र भी पेश किया,

लगातार.....4

जिसमें माल सवाईमाधोपुर टोंक जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड को सांय 5 बजे विक्रय करने तथा बिल पर Issued अंकित कर दो ट्रकों में लदान कर भिजवाये जाने का जिक्र है। मूल बिल दूसरे ट्रक के साथ होने के कारण पेश नहीं हो सका, इसलिए छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के असत्य होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। सक्षम अधिकारी ने केवल इस आधार पर प्रस्तुत बिल की छायाप्रति को अमान्य किया है कि बिल पर 'Cancelled' लिंखा है तथा जितना माल वर्णित है, उससे कम माल ट्रक में पाया गया। बिल की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर दो लाईन के बीच में Issued लिखा गया है जो कि माल गोदाम से क्रेता को सुपुर्द करने का संकेत है। प्रथमतः माल कर चुका है तथा मूल बिल दूसरे ट्रक में साथ होना भी जाहिर किया गया है। फिर भी सक्षम अधिकारी द्वारा इन तथ्यों की सत्यता की जांच किये बगैर माल के दस्तावेजों को नकार कर शास्ति आरोपित की है, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने व उक्त तथ्य के आलोक में यह अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
21/4/14